

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल 462 003  
दूरभाष क्रमांक 0755 2779411-12  
(An ISO 9001:2015 Certified Office)

क्रमांक 6785 / मोनि. / प्र.अ. / लोस्वायाँवि / 2018

भोपाल, दिनांक : 31/8/18

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर
2. अधीक्षण यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
समस्त मण्डल म.प्र.
3. कार्यपालन यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  
समस्त खण्ड म.प्र.

विषय :- नवीन नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में अंशदान/जनभागीदारी जमा कराये जाने हेतु प्रचलित आदेश को निरस्त किये जाने के संबंध में।


संदर्भ :- म.प्र. शासन, लो.स्वा.याँ.वि. का पत्र क्रमांक एफ-16-111/2011/2/34  
भोपाल दिनांक 02 अगस्त 2018

-o-o-o-o-o-

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। संदर्भित आदेश द्वारा शासन ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी/अंशदान से संबंधित समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2012 के द्वारा किये गये नीति निर्धारण अनुसार ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हेतु जनभागीदारी/अंशदान प्राप्त करने की नीति को समाप्त किया है।

तत्संबंधी आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(कै. के. सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-16-111/2011/2/34  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 AUG 2018

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल।

विषय :- नवीन नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में अंशदान/जनभागीदारी जमा कराये जाने हेतु प्रचलित आदेश को निरस्त किये जाने के संबंध में।


- संदर्भ :- (1) शासन का आदेश क्रमांक एफ-16-111/2011/2/34 भोपाल, दि. 21.08.2012  
(2) आपकी टीप क्रमांक 552 दिनांक 18.07.2018

-0-

ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी/अंशदान से संबंधित समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2012 के द्वारा नीति निर्धारण किया गया था। ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति हेतु जनभागीदारी/अंशदान प्राप्त करने की नीति को समाप्त करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग